न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 106 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. अनोपसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी देवन्दी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सांवलाराम पुत्र गणेशाराम जाति नाई निवासी देवन्दी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

2.तुलछाराम पुत्र गणेशाराम जाति नाई निवासी देवन्दी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12 / 2016 बअनवान अनोपसिंह बनाम सांवलाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 09.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 156, 158, 159 मौजा देवन्दी तहसील सिवाना में अवस्थित है में से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतुखसरा संख्या 155 में से होकर रास्ता प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट / विप्रार्थीगण द्वारा आवेदन का जबाव पेश किया गया। तहसीलदार सिवाना के अधीनस्थ आर.आई. सिवाना द्वारा दिनांक 30.05.2017 को मौके पर जाकर दोनो पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें वादग्रस्त खेत बदिशा पश्चिमी तरफ एकमात्र रेस्पोडेंट का खेत खसरा संख्या 300 / 155 के बाद गैर मुमकिन नाला होना दर्शित किया तथा यह भी जाहिर किया कि उक्त खेतों के लिए आवागमन का सबसे नजदीकतम रास्ता रेस्पोडेंट के खेत के बदिशा उत्तरी माठ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

माठ होकर है, तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.10.2017 प्रत्याशत गलत अवैध बिना क्षेत्राधिकार का Perverted, Arbitrary and coutrary to law एवं प्रकरण की संचिका पर विद्यमान सामग्री एवं दस्तावेजात के नितान्त भिन्न विपरित है। अपीलांट/प्रार्थी के पीढीयों पुराना रास्ता इसी रास्ते से है, प्रार्थी ही नहीं बल्कि प्रार्थी के आस पास करीबन पचास खेतों का रास्ता भी इसी नाले की भूमि में से होकर अपने खेत में जाते है तथा जहां तक नाले का प्रश्न है, प्रार्थी/अपीलांट ने नाले मे से होकर रास्ते की मांग नही की है, नाला तक ही रास्ते की मांग की है, जो एक विधिक बिन्दू है, तथा इस रास्ते के आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर खारिज किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/विप्रार्थीगण द्वारा आवेदन का जबाव पेश किया गया। तहसीलदार सिवाना के अधीनस्थ आर.आई. सिवाना द्वारा दिनांक 30.05.2017 को मौके पर जाकर दोनो पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें वादग्रस्त खेत बदिशा पश्चिमी तरफ एकमात्र रेस्पोडेंट का खेत खसरा संख्या 300/155 के बाद गैर मुमकिन नाला होना दर्शित किया तथा यह भी जाहिर किया कि उक्त खेतों के लिए आवागमन का सबसे नजदीकतम रास्ता रेस्पोडेंट के खेत के बदिशा उत्तरी माठ माठ होकर है, तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.10.2017 प्रत्याशत गलत अवैध बिना क्षेत्राधिकार का Perverted, Arbitrary and coutrary to law एवं प्रकरण की संचिका पर विद्यमान सामग्री एवं दस्तावेजात के नितान्त भिन्न विपरित है। अपीलांट/प्रार्थी के पीढीयों पुराना रास्ता इसी रास्ते से है, प्रार्थी ही नहीं बल्कि प्रार्थी के आस पास करीबन पचास खेतों का रास्ता भी इसी नाले की भूमि में से होकर अपने खेत में जाते है तथा जहां तक नाले का प्रश्न है, प्रार्थी/अपीलांट ने नाले मे से होकर रास्ते की मांग नही की है, नाला तक ही रास्ते की मांग की है, जो एक विधिक बिन्दू है, तथा इस रास्ते के आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर खारिज किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक नजीर पेश की :-

न्यायालय हाजा के अपील संख्या 67/2017 के निर्णय की प्रति

माननीय राजस्व मण्डल की निगरानी/टी.ए./3835/2017/बाड़मेर के निर्णय की प्रति

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा पेश आवेदन तथ्यहीन झूठा है। अपीलांट द्वारा मौजा देवन्दी के खसरा संख्या 88 से जो गैर मुमकिन नाला राजस्व रेकर्ड में घोषित है से होते हुए रेस्पोडेंटगण के खेत खसरा संख्या 155 में से अपने खेत में जाने हेतु रास्ता दिये जाने का आवेदन जो पेश किया बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है क्योंकि गैर मुमकिन नाला है जो पानी निकासी हेतु काम आता है जिसमें से विधि अनुसार रास्ते के आदेश पारित करना प्रतिबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा ग्राम देवन्दी के अपने खेत खसरा संख्या 156, 158 व 159 में आवागमन हेतु चाहा गया रास्ता रेस्पोडेंटस के खेत खसरा संख्या 155 में से है। प्रार्थी के आवेदन में ही स्पष्ट किया गया है कि खसरा संख्या 155 के दक्षिणी माठ से होते हुए आगे **गैर मुमकिन नाला खेत खसरा संख्या 88 में से होते हुए आगे राजस्व कटाण मार्ग तक जाता है।** इसका तात्पर्य है कि कटाण मार्ग और **अपीलांट के खेत के मध्य गैर मुमकिन नाला अवस्थित है।** इस गैर मुमकिन नाले के आगे कटाण मार्ग नक्शे में दर्शित नहीं है। न ही आगे किसी कटाण मार्ग का मौका फर्द में हवाला है। **इससे रास्ते की निरंतरता (Continuity) नहीं है।** पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक **ग्राम देवन्दी का खसरा संख्या 88 रकबा 24.02 बीघा नदियां तथा नाले (चारागाह हेतु) गैर मुमकिन नाले के रूप में दर्ज है जिसमें से सार्वजनिक रास्ता अनुमत करना प्रतिबंधित है।** वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर में गैर मुमकिन नाला में रास्ता अनुमत करने का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलाधीन निर्णय में भी इसी बिंदु को रेखांकित किया गया है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता परिशिष्ट "अ" में ए से बी ए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

स्थल के आगे गैर मुमकिन नाला है कटाण मार्ग नहीं है नाला पक्का पत्थरों की पिचिंग द्वारा बंधा हुआ होने से पानी का बहाव मार्ग होने से रास्ता घोषित किया जाना संभव नहीं है।" भूमि नाला प्रतिबंधित होने से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है जो उचित एवं विधि की मंशा के अनुरूप है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

अतः लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12/2016 बअनवान अनोपसिंह बनाम सांवलाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 को यथावत रखा जाता है।

9/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner